

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 336

M-COM-2019-00605

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा”, प्रमोटर-डॉलफीन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा-श्री कमलजीत सिंह होरा, पता-ए-1, साईं नगर रोड, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा ”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/01/2022	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट “डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा” पंजीयन क्रमांक-PCGRERA180918000764 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 09.04.2019 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु समय की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को लंबित त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा सितम्बर, 2021 तक त्रैमासिक अद्यतन तथा वर्ष 2019-2020 तक की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट नियमानुसार प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है। अनावेदक द्वारा त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण लिये जाने उपरांत कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 336

M-COM-2019-00605

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा”, प्रमोटर-डॉलफीन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा-श्री कमलजीत सिंह होरा, पता-ए-1, साईं नगर रोड, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा ”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ट दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / – (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p>सही / – (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 336

M-COM-2019-00605

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा”, प्रमोटर-डॉलफीन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा-श्री कमलजीत सिंह होरा, पता-ए-1, साईं नगर रोड, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा ”

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 336

M-COM-2019-00605

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा”, प्रमोटर-डॉलफीन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा-श्री कमलजीत सिंह होरा, पता-ए-1, साईं नगर रोड, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ डॉलफीन प्रीमियम प्लाजा ”

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर